

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 367]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जुलाई 2011—श्रावण 5, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. बी-11-7-2011-चौदह-2.—विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 जून 2011 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. परिशिष्ट-2 के पृष्ठ 600 (18) से 600 (21) में कालम नंबर 3, 5 एवं 7 में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

1	3	5	7
बाजरा	7160	8184	15344
सोयाबीन	7423	8483	15906
धान	10867	12419	23286
तिल	9671	11052	20723
ज्वार	7042	8047	15089

2. अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 4.6 में बैंक/समितियों द्वारा अऋणी कृषक के प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2011 एवं बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से अऋणी कृषकों के घोषणा-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2011 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय पंडित, उपसचिव.